प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा प्राधिकार के तहत वीसैट के माध्यम से सैटेलाइट के जरिये सेलुलर बैकहॉल कनेक्टिविटी का प्रावधान" पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2020: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आज "वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा प्राधिकार के तहत वीसैट के माध्यम से सैटेलाइट के जरिये सेलुलर बैकहॉल कनेक्टिविटी का प्रावधान" पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

2. दूरसंचार विभाग ने 13 अगस्त 2019 के अपने पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से भादूविप्रा संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा संशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (यथा संशोधित) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) की शर्तों के तहत वीसैट के माध्यम से सैटेलाइट के जरिये मोबाइल नेटवर्क के लिए बैकहॉल लिंक की अनुमति देने के लिए यूनिफाइड लाइसेंस और यूनिफाइड लाइसेंस वीएनओ समझौते के नियम एवं शर्तों पर सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि अभी तक सेवा रहित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं और वॉइस सेवाएं बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा लाइसेंस के तहत दूर–दराज के क्षेत्रों में बीटीएस/मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए वीसैट क्षमताओं का उपयोग करने और सेलुलर बैकहॉल को अनुमति देने की आवश्यकता है।

3. इस संबंध में, आज "वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा प्राधिकार के तहत वीसैट के माध्यम से सैटेलाइट के जरिये सेलुलर बैकहॉल कनेक्टिविटी का प्रावधान" पर एक परामर्श पत्र जारी किया जा रहा है, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई हैं। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर लिखित टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां क्रमश 26 फरवरी, 2020 और 11 मार्च, 2020 तक आमंत्रित की जाती हैं।

3. परामर्श पत्र पर टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn(@.trai.gov.in पर भेजें। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री एस. टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम व लाइसेंसिंग) से टेलीफोन नंबर +91–11–23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

**अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।**